



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 548 राँची, मंगलवार 13 श्रावण, 1937 (श०)
4 अगस्त, 2015 (ई०)

नगर विकास विभाग

शुद्धि पत्र
28 जुलाई, 2015

संख्या-4/न0वि0/गठन/138/2014-2666--विभागीय अधिसूचना संख्या-624, दिनांक 23 फरवरी, 2015 (गजट अधिसूचना संख्या-114, दि.-27 फरवरी, 2015) द्वारा झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम 07, 2012) की धारा-3 की उपधारा (1), (2), धारा-4, 5, 6 एवं 8 के आलोक में रामगढ़ छावनी परिषद् की परिधि से बाहरी क्षेत्रों को मिलाकर रामगढ़ नगर परिषद् (वर्ग 'क') का गठन किया गया है।

उपायुक्त, रामगढ़ के पत्रांक-1096, दिनांक-10 अगस्त, 2013 द्वारा उक्त निकाय के गठन हेतु उपलब्ध कराये गये आँकड़ों एवं पत्रांक-298, दि.-04 दिसम्बर, 2013 द्वारा रामगढ़ नगर परिषद् (वर्ग 'क') के गठन हेतु की गयी अनुशंसा के आलोक में उपर्युक्त अधिसूचना निर्गत की गयी थी।

राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-623, दिनांक-18 मार्च, 15 द्वारा रामगढ़ अंचल के हेसला (थाना संख्या-30) ग्राम की जनसंख्या-4,451 के स्थान पर रामगढ़ अंचल के हेसला ग्राम (थाना-171) की जनसंख्या-2,535 एवं माण्डू अंचल के ग्राम रौता (थाना संख्या-110) की जनसंख्या-440 के स्थान पर 952 (थाना संख्या-146) किये जाने का अनुशंसा की गयी है।

कालक्रम में उपायुक्त, रामगढ़ के पत्रांक-116 दिनांक-16 अप्रैल, 15 एवं पत्रांक-153, दिनांक-08 मई, 15 द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड, राँची के कथन की सम्पुष्टि की गयी है। उपायुक्त, रामगढ़ के पत्रांक-172, दिनांक-23 मई, 2015 द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि रामगढ़ नगर परिषद (वर्ग-'क') में शामिल राजस्व ग्राम हेसला (थाना संख्या-171) जनसंख्या-2,535 , क्षेत्रफल-1290.17 एकड़ तथा राजस्व ग्राम रौता (थाना संख्या-146) जनसंख्या-952, क्षेत्रफल-979.79 एकड़ है, जो सही है। उक्त दोनों राजस्व ग्रामों में जनसंख्या त्रुटिपूर्ण थी, जबकि क्षेत्रफल सही था।

पुनः उपायुक्त, रामगढ़ के पत्रांक-232, दिनांक-15 जुलाई, 2015 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि रामगढ़ जिलान्तर्गत अधिसूचित नगर परिषद (वर्ग-'क') में ग्राम पंचायत घुट्टवा को सम्मिलित किया गया है। ग्राम पंचायत घुट्टवा अंतर्गत दो राजस्व ग्राम यथा- घुट्टवा एवं उरलुंग है, जिसमें राजस्व ग्राम घुट्टवा को शामिल किया जा चुका है।

राजस्व ग्राम उरलुंग, थाना सांख्या-78, जिसकी जनसंख्या जनगणना-2011 के अनुसार 587 मात्र है, को नगर परिषद (वर्ग-'क') में शामिल नहीं किया गया है। उपायुक्त, रामगढ़ द्वारा राजस्व ग्राम उरलुंग, थाना संख्या-78 को रामगढ़ नगर परिषद (वर्ग-'क') में शामिल करने की अनुशंसा की गई है।

वर्णित परिप्रेक्ष्य में विभागीय अधिसूचना संख्या-624, दिनांक-23 फरवरी, 2015 (गजट अधिसूचना संख्या-114, दिनांक-27 फरवरी, 2015) में निम्न रूपेण संशोधित किया जाता है:-

- (i) रामगढ़ अंचल के क्रमांक-6 पर दर्ज "हेसला ग्राम (थाना सं.-30) की जनसंख्या- 4,451" के स्थान पर "रामगढ़ अंचल के हेसला ग्राम (थाना संख्या-171) की जनसंख्या-2,535" पढ़ा जाय।
- (ii) "रामगढ़ अंचल की कुल जनसंख्या-23,700" के स्थान पर "रामगढ़ अंचल की कुल जनसंख्या- 22,371" पढ़ा जाय।

- (iii) माण्डू अंचल के क्रमांक-2 पर अंकित "ग्राम रौता (थाना-110) की जनसंख्या-440" के स्थान पर "ग्राम रौता (थाना संख्या-146) की जनसंख्या-952" पढ़ा जाय।
 - (iv) "माण्डू अंचल, जिसका शहरीकरण हो चुका है, की कुल जनसंख्या-13,180" के स्थान पर "माण्डू अंचल की कुल जनसंख्या-13,692" पढ़ा जाय।
 - (v) रामगढ़ अंचल में ग्राम पंचायत घुट्टवा अंतर्गत राजस्व ग्राम उरलुंग को रामगढ़ नगर परिषद (वर्ग-'क') में शामिल किया जाता है।
 - (vi) रामगढ़ नगर परिषद् (वर्ग 'क') एक झलक में, वैसे क्षेत्र, जिनका शहरीकरण हो चुका है:- में "रामगढ़ अंचल, पतरातू अंचल एवं माण्डू अंचल की कुल जनसंख्या-58,468" के स्थान पर "रामगढ़ अंचल, पतरातू अंचल एवं माण्डू अंचल की कुल जनसंख्या-57,651" पढ़ा जाय।
 - (vii) "रामगढ़ नगर परिषद् (वर्ग 'क') की कुल जनसंख्या-1,24,692" के स्थान पर "रामगढ़ नगर परिषद (वर्ग 'क') की कुल जनसंख्या-1,23,875" पढ़ा जाय।
 - (viii) रामगढ़ नगर परिषद (वर्ग-'क') का कुल क्षेत्रफल '36,941.53 एकड़' के स्थान पर '37,304.62 एकड़' पढ़ा जाय।
2. विभागीय अधिसूचना संख्या-624, दि.-23 फरवरी, 2015 (गजट अधिसूचना संख्या-114, दि.- 27 फरवरी, 2015) को इस हद तक संशोधित समझा जाय।
 3. शुद्धि पत्र प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
 4. उक्त अधिसूचना की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

झारखण्ड के राज्यपाल के आदेश से,
अरुण कुमार सिंह,
 सरकार के प्रधान सचिव।
